न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बिरौल

इजहार अहमद

TR- 2059/2020
GR- 672/14

13.02.2020

आवेदक अभियुक्त इजहार अहमद खान की ओर से जमानत आवेदन दाखिल किया गया, जिसकी प्रतिलिपि विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी को दी जा चुकी है। आवेदन प्रचालित किया गया।

वाद पुकारा गया। पुकार पर आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए। आवेदक को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक ने दिनांक 04.04.2015 को अनुसंधान के क्रम में जमानत की सुविधा प्राप्त की ली थी। आवेदक का इस वाद में संज्ञानोपरांत प्रथम उपस्थिति है। आवेदक के विरुद्ध दिनांक 23.09.2019 को B/W निर्गत करने का आदेश पारित किया गया है। आवेदक ने स्वेच्छापूर्वक न्यायालय के समक्ष आत्म–समर्पण कर दिया है तथा न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत बंध–पत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः आवेदक को जमानत पर रिहा करने की कृपा की जाए।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी को सुना।

उभय पक्षों को सुनने तथा अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद में आवेदक ने अनुसंधान के क्रम में जमानत की सुविधा प्राप्त की ली थी। प्रस्तुत वाद में धारा 406, 409, 420 भा0द0वि0 के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया। आवेदक का इस वाद में संज्ञान के पश्चात प्रथम उपस्थिति है। आवेदक ने स्वेच्छापूर्वक न्यायालय के समक्ष आत्म–समर्पण कर दिया है तथा भविष्य में लगातार उचित पैरवी करने तथा न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत बंध–पत्र दाखिल करने को तैयार है। ऐसी स्थिति में आवेदक की ओर से मो0 10,000 X 2 रु0 के प्रतिभूवों का जमानत बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत की सुविधा प्रदान की जाती है।

(लेखापित)

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी

पश्चात
13.02.2020

उपरोक्त आदेशानुसार आवेदकों की ओर से जमानत बंध–पत्र, शपथ पत्र तथा प्रतिभूवों से संबंधित कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया, जिसे जांचोपरांत सही पाकर ..... किया जाता है। आवेदकों को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त किया गया।

(लेखापित)

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी